



सं.सीपज़-सेज़/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II/ 52250 दिनांक:29-09-2025

परिपत्र सं. श्रम/ 48/2025

विकास आयुक्त, सेज़ को मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेज़ों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कारवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। आज की तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा जेम तथा ज्वेलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/07/2025 से दिनांक 31/12/2025 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता).

1. जेम तथा ज्वेलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु.12605	रु.11445	रु.10350
विशेष भत्ता	रु. 3100	रु. 3100	रु. 3100
कुल	रु.15705	रु. 14545	रु.13450
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 785	रु. 727	रु. 672
न्यूनतम मजदूरी	रु.16490	रु. 15272	रु.14122

2. दुकाने तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु.11632	रु.10856	रु.10021
विशेष भत्ता	रु. 3614	रु. 3614	रु. 3614
कुल	रु.15246	रु.14470	रु.13635
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 762	रु. 723	रु. 682
न्यूनतम मजदूरी	रु.16008	रु.15193	रु.14317

3.सीपूज(इलेट्रोनिक्स):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 6744	रु. 6744	रु. 6744
कुल	रु. 13044	रु.12544	रु.12044
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 652	रु. 627	रु. 602
न्यूनतम मजदूरी	रु. 13696	रु.13171	रु.12646

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष- 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनियों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रसाशन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कापीया मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(सुदर्शन शिंदे)

सहायक विकास आयुक्त, श्रम अनुभाग

Digitally signed by
SOODERSHAN SHINDDE

Date: 29-09-2025

17:59:58

प्रतिलिपि:-



F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II/ Dated:29-09-2025

52250

CIRCULAR NO./LAB/ 48/2025

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. Further this power has been delegated to Deputy Development Commissioner by Development Commissioner vide Office Order No. 199/200 dated 16.10.2020. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01.07.2025 to 31.12.2025)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 12605	Rs. 11445	Rs. 10350
Special Allowance	Rs. 3100	Rs. 3100	Rs. 3100
Total	Rs. 15705	Rs. 14545	Rs. 13450
HRA (5%)	Rs. 785	Rs. 727	Rs. 672
Minimum Wages	Rs. 16490	Rs. 15272	Rs. 14122

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 11632	Rs. 10856	Rs. 10021
Special Allowance	Rs. 3614	Rs. 3614	Rs. 3614
Total	Rs. 15246	Rs. 14470	Rs. 13635
HRA (5%)	Rs. 762	Rs. 723	Rs. 682
Minimum Wages	Rs. 16008	Rs. 15193	Rs. 14317

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 6744	Rs. 6744	Rs. 6744
Total	Rs. 13044	Rs. 12544	Rs. 12044
HRA (5%)	Rs. 652	Rs. 627	Rs. 602
Minimum Wages	Rs. 13696	Rs. 13171	Rs. 12646

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.

This issues with the approval of Competent Authority.

भवदीय,

Digitally signed by
SOODERSHAN SHINDDE

Date: 29-09-2025

(सुद.शे.शिंदे)

सहायक विकास आयुक्त, श्रम अनुभाग

सीप्ल-सेप्ल